

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 58/2024

देवेन्द्र सिंह पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. बलवीर सिंह पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक.....

यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीर सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोशणा की जाती है चक 20 केएनएन पटवार हल्का खिनानियां के प०न० 271/372 मु० 73 के किलानं० 16/1/0.2280 30 नहरी, 16/2/0.0250 गै०मु० रास्ता, 17/0.2530 है० नहरी, 24/0.2150 नहरी, 25/1/0.00890 है० नहरी, 25/2/0.0130 है० गै०मु० रास्ता कुल 0.8230 है० मय गै०मु० आराजी का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर उक्त चक से प्रतिवादी स० 1 बलवीर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी